lfpdkLr lfpdkvksa dh lwph&2015

flrEcj&2015

f'k{kk foHkkx

dze la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02 / लोक(शिक्षा)14 / 14	वेतन बकाया, सेवान्त लाभ तथा पेंशन निर्धारण नहीं किये जाने के संबंध में कृष्णा महतो, बालूमाथ, लातेहार का परिवाद ।	22.09.2015	परिवादी के दावा को पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चूका है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(शिक्षा)15 / 2014	पेंशन भुगतान लंबित रहने के संबंध में मुरारी पांण्डेय का परिवाद ।	16.09.2015	परिवादी के सभी देय पावना का भुगतान प्राप्त हो गया है। जहां तक कटौती राशि का प्रशन है यह झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।

jktLo foHkkx

dze la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01 / लोक(राजस्व)14 / 2014	भूमि के सीमांकन के संबंध में बैद्यनाथ सिंह हरप्रसाद दियारा साहेबगंज का परिवाद ।	22.09.215	उपायुक्त साहेबगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद दो राज्यों के निति निर्धारण से संबंधित है। अतः वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

xkeh.k fodkl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02 / लोक(ग्रा.वि. वि)04 / 14	श्री कपिल कुमार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मधुपुर द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध में श्रीमती सीता देवी, मुखिया देवघर का परिवाद ।	22.09.2015	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(ग्रा.वि.वि.)14 / 13	देवघर जिला अन्तर्गत मधुपंर प्रखण्ड के पटवाबाद पंचायत के मुखिया शबनम प्रवीण द्वारा इन्दिरा अवास का लाभुक बनाने के लिए घूस मांगें जाने के संबंध में परिवाद।	29.09.2015	लोकायुक्त के सचिव श्री दिपक कुमार के द्वारा समर्पित विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी का आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ifyl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	01 / लोक(पुलिस)03 / 2012	श्री रामेश्वर प्रसाद तत्कालीन थाना प्रभारी चिरूलडीह के विरूद्ध आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में श्री बी.बी. पालित, राँची का परिवाद ।	04.09.2015	पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी लोक सेवक के विरूद्ध निगरानी थाना में केस दर्ज कर कारवाई की जा रही है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त के द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	01 / लोक(पुलिस)09 / 14	सुग्गा पहाड़ी–2 पंचायत के मुखिया द्वारा जान मारने की धमकी देकर सुलह कराने का दबाव डालने व उन्हे पदच्यूत कराने के संबध में मो0 नेजामुद्दिन देवघर का परिवाद ।	04.09.2015	पुलिस उप–महानिरीक्षक संथाल परगना, दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। अतः सक्षम न्यायालय में मामला लंबित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(पुलिस)18 / 14	झारखण्ड सशस्त्र पुलिस –7 हजारीबाग के द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन किये जाने व जाति एवं क्षेत्रवाद के नाम पर गंदा खेल खेलने के संबंध में श्री जॉन	15.09.2015	परिवाद पत्र में झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत कारवाई हेतु आवश्यक तथ्य नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को खारिज कर दिया

		अनुरंजन कुजूर राँची का परिवाद ।		गया ।
4.	02/लोक(पुलिस)08/14	थाना प्रभारी सोनाहातु एवं अंचल अधिकारी सोनाहातु के द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के उल्लंघन करने एवं भ्रष्टाचार करने के संबंध में श्री मानकी डोमन सिंह का शिकायत ।	02.09.2015	परिवादी का केस भूमि के स्वामित्व से संबंधित है जो सक्षम न्यायालय में केस सं. 14/1996 के रूप में लंबित है तथा परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।

LokLF; foHkkx

dze l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(स्वा.)08/09	स्व0 विशम्भर झा, सेवानिवृत कर्मी प्रा0 स्वा0 केन्द्र चन्दनकियारी (बोकारो) मलेरिया विभाग को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ देने के संबंध में ।	29.09.2015	परिवाद अविभाजित बिहार से संबंधित है तथा इसका निपटारा बिहार राज्य के द्वारा ही किया जाना है । अतः इस पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

iFk fuekZ.k foHkkx

dze l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(पथ)07/13	NH-75 चाईबासा में फर्जी नाली का कार्य दिखाकर राशि का बंदरबांट किये जाने के संबंध में श्री विजय शुकला राँची का परिवाद ।।	04.09.2015	प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का आरोप सही नहीं पाया गया। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

[kk| vkifr foHkkx

de l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	01 / लोक(खा.आ.)08 / 14	डोर स्टेप डिलेवरी के निविदा में निष्पादन में अनियमितता बरतने के संबंध में श्री अशोक यादव जमशेदपुर का परिवाद ।	14.09.2015	परिवाद पत्र, जांच प्रतिवेदन, मंतब्य तथा सुनवाई के पश्चात परिवादी के सभी आरोप निराधार पाये गये। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया

df"k foHkkx

de l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02 / लोक(कृषि)09 / 11	सवेानिवृति के फलस्वरूप आर्थिक लाभ प्रदान करने के संबंध में श्री राम प्रताप राम का शिकायत ।	22.09.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त पत्र के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण विभाग द्वारा कर दिया गया है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

lgdkfjrk foHkkx

de l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	01 / लोक(सहकारिता)03 / 2013	प्रमोद चौधरी प्र.स. प्र. पदा. टण्डवा तथा श्री विजय कुमार पाठक पैक्स अध्यक्ष पर अनियमितता के आरोप के संबंध में शिकायत ।	09.09.2015	आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग से प्राप्त विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवारदी का आरोप सही नहीं पाये गये । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ou foHkkx

de l0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01/लोक(वन)01/2015	विशेष न्यायालय, निगरानी मुजफ्फरपुर में समर्पित आरोप आरोप पत्र को छिपाते हुए गलत एवं अवैद्य रूप से प्रोन्नति प्राप्त करने के संबंध में श्री जितेन्द्र कुमार राँची का परिवाद ।	22.09.2015	प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित अधिकारी का प्रोन्नति भारत सरकार के निर्देष के आलोक में नियमानुसार किया गया है। अतः वाद पर अन्य अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं प्रतीत होने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fofo/k foHkkx

de l0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(विविध)10/2015	श्री एस.एन. सिंह झा.ग्रा.बैंक के शाखा प्रबंधक तथा श्री संजय कुमार झा.ग्रा.बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक के विरूद्ध परिवादीनी श्रीमती सुशीला देवी एवं उनके पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में परिवाद ।	29.10.2015	परिवाद झारखण्ड ग्रामीण बैंक के विरूद्ध किया गया है जो बैंक ऑफ इन्डिया का प्रायोजित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।

f'kdk;r

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	शिकायत सं. 331/15	पंशूल स्टोन क्रेशर धबवा द्वारा प्रदूषण फैलाने तथा जान माल की हानि के संबंध में श्री संजय कुमार यादव का शिकायत ।	29.09.2015	शिकायत इस कार्यालय के अलावा कई अन्य प्राधिकारों में किया गया है । इस कारण परिवाद पोषणीय नहीं है। अतः वाद के माननीय लोकायुक्त बंद कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 309/2015	राँची जिला अंनर्गत अनगड़ा अंचल कार्यालय के कर्मचारी श्री कृष्णा गोप द्वारा जमीन दिलवाने के नाम पर राशि हड़प जाने के संबध में श्री आलोक कुमार गुप्ता राँची का शिकायत ।	22.09.2015	शिकायत पर पूर्व में पुलिस द्वारा सनहा दर्ज कर जांच की जा रही है तथा शिकायत सक्षम न्यायालय में लंबित है । अतः वाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 335/2015	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में श्री जयनित तिर्की गढ़वा का शिकायत ।	30.09.2015	शिकायत पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला अनुकंपा समिति गढ़वा द्वारा श्किायत कर्ता का दावा खारिज कर दिया गया है। अतः अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दियास गया ।
4.	शिकायत सं. 343/2015	अशोक अग्रवाल निरसा विद्यासागर कॉलोनी द्वारा अवैद्य संपति रखने के संबंध में शिकायत ।	29.09.2015	शिकायत किसी लोकसेवक के विरूद्ध न होकर एक निजी व्यक्ति के विरूद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं 328/2015	CCL में क्वाटर के अतिक्रमण के संबंध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह बोकारो का शिकायत ।	29.0.2015	शिकायत सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी CCL से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 296/15	झारखण्ड ग्रामीण बैंक इचाक शाखा के शाखा प्रबंधक के विरूद्ध परिवादी को फर्जी समूह लोन लेने व उनके सावधि जमा राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री अरूण कुमार मेहता का	22.09.2015	शिकायत झारखण्ड ग्रामीण बैंक के विरूद्ध किया गया है जो बैंक ऑफ इन्डिया का प्रायोजित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया

		परिवाद ।		गया ।
7.	शिकायत सं. 297/15	माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखण्ड एवं उनके निजी सहायक के विरूद्ध आरोप के संबंध में शिकायत ।	29.09.2015	शिकायत एक लोकसेवक के विरूद्ध दूसरे लोकसेवक के द्वारा किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 279/2015	नेता जी सुभाष नगर सहकारी गृह निर्माण समिति भर्रा चास के को–ऑपरेटिव संस्था के सदस्यों की राशि हड़प लिये जाने के संबंध में श्री कृष्णा ठाकुर चास बोकारो का शिकायत ।	30.09.2015	शिकायत से स्पष्ट है कि संबंधित मामला ACJM बोकारो के न्यायालय में लंबित है। अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 271/2015	एच. ई. सी. क्षेत्र के क्वाटरों से मनमानी तरिके से जल शुल्क वसूलने के संबंध में श्री बिरेश लाल का परिवाद ।	29.09.2015	शिकायत एच. ई. सी. जो भारत सरकार का लोक उपक्रम है के विरूद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 245/2015	श्रीमती संगीता सिंह पति श्री श्यामनरायण सिंह द्वारा परिवादी को प्रताड़ित करने के संबंध में श्री नरायण प्रसाद सिंह गिरीडिह का शिकायत ।	04.09.2015	शिकायत पारिवारिक झगड़ा से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 445/2014	साहेबगंज जिला में पथ प्रमंडल साहेबगंज द्वारा निर्मित पथों में अनियमितता के संबंध में श्री मुरलीधर तिवारी साहेबगंज का शिकायत ।	04.09.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 338/2015	JPSC द्वारा वि.सं. 4/13 के मुख्य परीक्षा के पेपर कोड 04 की कॉपी बिना जांचे ही रिजल्ट प्रकाशित करने के संबंध में सीमा कुमारी मिंज का शिकायत ।	29.09.2015	शिकायत को JPSC को विधि संवत कारवाई हेतु भेजते हुए शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 357/2015	SDO , न्यायालय कि. मि. वाद सं. 181/15 में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्रीमती उमा देवी, मधुपुंर , देवघर का परिवाद ।	29.09.2015	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि वाद सं. 181/2015 न्यायालय में लंबित है। अतः वाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद

				को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
14.	शिकयत सं. 278 / 15	श्रीमती किरण बाला दास , शिक्षिका, नेहरू कन्या मध्य विद्यालय, गिरिडीह की नियुक्ति गलत तरीके से किये जाने के संबंध में श्री दिगम्बर उपाध्याय गिरिडीह का शिकायत ।	22.09.2015	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
15.	शिकयत सं. 321 / 2015	अपग्रेड हाई स्कूल में क्वालिफाईंग अंक लाने वाले छात्रों को नियुक्त करने के संबंध में ।	22.09.2015	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।